V

(20526)

LL.M.-IV Sem.

Printed Pages : 4

Roll No. .....

L-70

LL.M. Examination, May-2026

ADMINISRATIVE LAW OF INDIA-I

(L-4001)

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 70*

Note : Attempt any **five** questions out of the following ten questions. All questions carries equal marks. 5×14=70

नोट : निम्नलिखित दस प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों समान अंकों के हैं।

1. Judicial control over delegated legislation is an essential form of control in most countries. With the help of decided cases, discuss the judicial control over delegated legislation in India.

   प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण अधिकांश देशों में नियंत्रण का एक अनिवार्य रूप है। निर्णीत वादों की सहायता से भारत में प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण की विवेचना कीजिए।

2. What do you mean by 'Delegated Legislation'? Discuss procedural control over delegated legislation.

   'प्रत्यायोजित विधान' से आप क्या समझते हैं? प्रत्यायोजित विधान पर प्रक्रियात्मक नियंत्रण की विवेचना कीजिए।

3. Central Vigilance Commission is an apex Indian Government body created to address governmental corruption. In the light of this statement, write a critical note on power and function of Central Vigilance Commission.
केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित किया गया है। इस कथन के आलोक में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शक्ति और कार्य पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

4. A Lokpal is an anti-corruption body who represents the public interest in the Republic of India. In the light of this statement, discuss critically the relevance of Lokpal in India.
लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। इस कथन के आलोक में भारत में लोकपाल की प्रासंगिकता पर आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

5. Democracy only has substance if there is the rule of law. In the light of this statement, discuss critically the concept of Rule of Law as propounded by Prof. A.V. Dicey. With the help of decided cases, also discuss in very brief the relevance of this concept in India.
लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जबकि विधि का शासन हो। इस कथन के आलोक में, प्रो. ए.वी. डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन की अवधारणा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों की सहायता से भारत में इस अवधारणा की प्रासंगिकता पर भी अति-संक्षेप में विवेचना कीजिए।

6. Doctrine of Separation of Powers says that no organ of the government can exercise the power other than what is given to them. Discuss critically the concept of this doctrine. With the help of constitutional provisions and judicial pronouncements discuss in brief the relevance of this doctrine in India.

शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सरकार का कोई भी अंग उन्हें दी गई शक्ति के अतिरिक्त अन्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत के अवधारणा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों की सहायता से भारत में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर संक्षेप में विवेचना कीजिए।

7. Explain the salient features of the Commission of Inquiry Act, 1952.

जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

8. Administrative law is a branch of public law that is concerned with the procedures, rules, and regulations of a number of governmental agencies. In the light of this statement, discuss the scope of Administrative law.

प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की एक शाखा है जो अनेकों सरकारी एजेंसियों की प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों से संबंधित है। इस कथन के आलोक में प्रशासनिक विधि के क्षेत्रविस्तार की विवेचना कीजिए।

9. Explain the causes for the growth of delegated legislation. With the help of decided cases discuss the constitutionality of delegated legislation.
प्रत्यायोजित विधान की विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। निर्णीत वादों की सहायता से प्रत्यायोजित विधान के संवैधानिकता की विवेचना कीजिए।

10. Parliamentary control over delegated legislation involves the responsibility of the parliament to ensure that the powers transferred to the executive are exercised appropriately and without abuse of authority. In the light of this statement, discuss parliamentary control over delegated legislation.
प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण में संसद की उत्तरदायित्व सम्मिलित है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्यपालिका को हस्तांतरित शक्तियों का उचित रूप से और अधिकार के दुरुपयोग के बिना उपयोग किया जाये। इस कथन के आलोक में, प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना कीजिए।